उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 10 | 16-31 मई 2024 | ₹ 20/-

पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म

- दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध
- तीन यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता
- ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन
- मुंबई के एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म 04
कर्नाटक में जय श्रीराम का नारा लगाने वाले छात्रों पर हमला 08
विवादों के घेरे में जौनपुर की अटाला मस्जिद 09
दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध 10
मुंबई के एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध 12

विश्व

तीन यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता 14
पाकिस्तान में कुरान के अपमान की आड़ में ईसाइयों पर हमले 16
किर्गिस्तान में भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों पर हमले 18
पाकिस्तान में 23 आतंकवादी मारे गए 21
मॉस्को में हुए नरसंहार के पीछे आईएसआईएस का हाथ 23
फ्रांस से मुसलमानों का पलायन 24

पश्चिम एशिया

ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन 25
सऊदी अरब द्वारा विमानों की खरीद का सबसे बड़ा समझौता 29
अबू धाबी में बियर फैक्ट्री की स्थापना 30
तुर्किये के विद्रोही जनरलों को माफी 31
सऊदी अरब में हज की तैयारियां तेज 32

सारांश

पिछले दिनों कर्नाटक के बीदर स्थित गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दो समुदायों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बताया जाता है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रिहर्सल के दौरान हिंदू छात्रों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। इस पर मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया। इस हमले में दो हिंदू छात्र घायल हो गए। पुलिस ने इस संबंध में 17 मुस्लिम छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि बीदर में सांप्रदायिक तत्व पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। कुछ साल पहले भी इस कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर स्थानीय मुसलमानों ने हमला किया था। इस हमले में कई दर्जन छात्र घायल हो गए थे, जिनमें से अधिकांश पंजाबी थे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किए जाने के संबंध में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को रद्द कर दिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक जनहित याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार ने इस अध्यादेश को जारी करते समय नियमों का पालन नहीं किया और न ही यह सूची राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित है। अदालत ने यह संदेह व्यक्त किया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया है। उन्होंने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है।

ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन समेत नौ ईरानी उच्चाधिकारियों की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जाता है कि ईरानी राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ पड़ोसी देश अजरबैजान के सहयोग से एक नदी पर बनाए गए बांध का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान गए थे। जब वे वापस लौट रहे थे तो खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी यात्री मारे गए। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस घटना के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था। इसके जवाब में अमेरिका ने दावा किया कि इस दुर्घटना के लिए पूरी तरह से ईरान सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि उसने एक 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर द्वारा अपने राष्ट्रपति को इस समारोह में भाग लेने के लिए भेजा था। हालांकि, ईरान सरकार ने इस दुर्घटना के पीछे किसी साजिश की आशंका से इंकार किया है, लेकिन मीडिया में रईसी की मृत्यु के पीछे इजरायल और अमेरिका का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि रईसी को कट्टरपंथी माना जाता था। रईसी पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में अपने अनेक विरोधियों को फांसी पर लटकाने में खास भूमिका निभाई थी। रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का नजदीकी माना जाता था। ईरान सरकार ने नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए 28 जून को देश में मतदान कराने की घोषणा की है।

यूरोप के तीन देशों स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। इन देशों के इस फैसले से इजरायल, अमेरिका और उनके कुछ यूरोपीय सहयोगियों को गहरा झटका लगा है। बताया जाता है कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के इस फैसले से यूरोपीय यूनियन के देशों में भी गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं।

रूस ने मार्च महीने में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले के लिए इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस को दोषी ठहराया है। इस हमले में कम-से-कम 150 रूसी नागरिक मारे गए थे। रूस ने इस आतंकी हमले के पीछे यूक्रेन और अमेरिका का हाथ होने का संदेह जताया था। इन दोनों देशों ने रूस के इस आरोप का खंडन किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ सालों में आईएसआईएस फिर से सक्रिय हो गया है और वह अफगानिस्तान, ईरान समेत कई देशों में मासूम लोगों के खून की होली खेल रहा है।

पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म

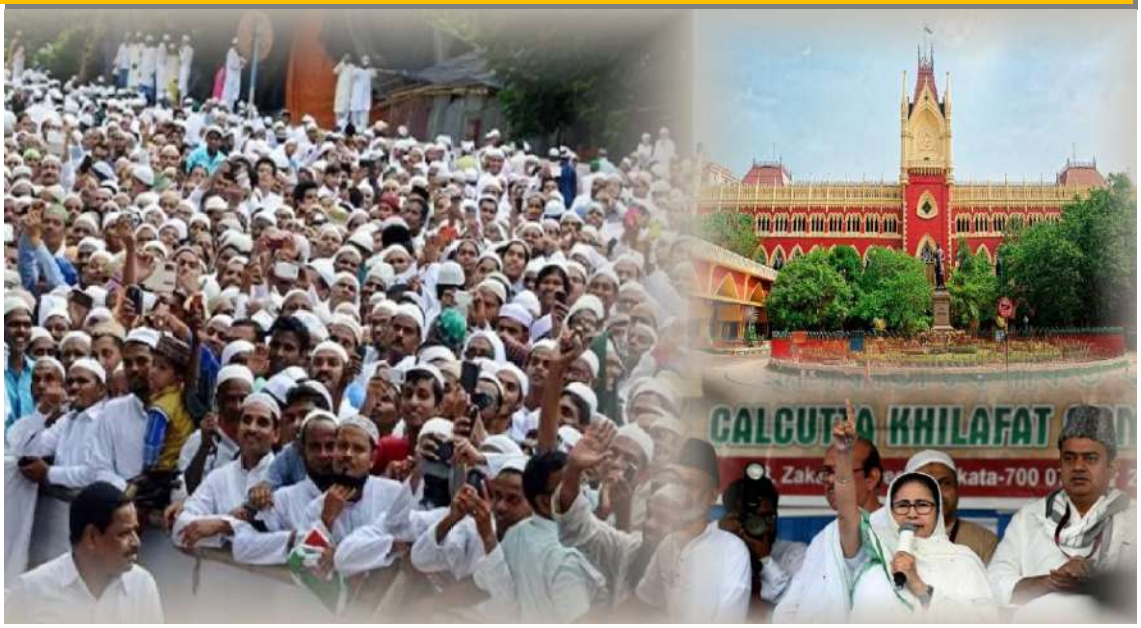

हिंदुस्तान (24 मई) के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल के पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। अदालत ने अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी के तहत दिए गए आरक्षण और 2012 के कानून के तहत बनाई गई श्रेणियों को भी रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि रद्द किए गए प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों को इन प्रमाणपत्रों के जरिए पहले ही नौकरियों में मौका मिल चुका है वे इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे। उच्च न्यायालय का यह फैसला 2012 के एक मुकदमे के सिलसिले में आया है। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि 2010 के बाद ओबीसी के तहत जारी किए गए सारे प्रमाणपत्र कानून के अनुसार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेकर ओबीसी की सूची का निर्धारण करेगा, जिसे विधानसभा में भेजा जाएगा। विधानसभा द्वारा जिन जातियों के नाम स्वीकार किए जाएंगे उन्हें ही भविष्य में ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि मुसलमानों की 77 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में चुनना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुसलमानों के कुछ वर्गों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया।

उर्दू टाइम्स (25 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 परगना जिले में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित

करते हुए कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का जो फैसला सुनाया है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे और अदालत के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह फैसला किसने दिया है, लेकिन मैं यह जरूरी कहूंगी कि यह आदेश भाजपा के पक्ष में है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। समाचारपत्र ने कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं का ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे।

इंकलाब (29 मई) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को अपना निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी करार दे दिया, लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो उनका सारा खेल बिगड़ गया। अब उन्हें उच्च न्यायालय का फैसला मानना होगा। मुसलमानों के तुष्टिकरण हेतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह घोषणा कर रही हैं कि वे अदालत के इस फैसले को नहीं मानेंगी। मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है।

इंकलाब (26 मई) के अनुसार राजस्थान में मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने की संभावना बढ़ गई है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि पुरानी सरकार द्वारा ओबीसी के कोटे में कटौती करके मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया था वह गलत है और उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था। इस पर राज्य सरकार पुनर्विचार करेगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इस मामले पर कानूनी नजरिए से विचार करेगी। गौरतलब है कि इस समय राजस्थान में 91 जातियों को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इनमें जो मुस्लिम जातियां शामिल हैं उनमें नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट), सिंधी, सिपाही, फकीर, धोबी, मेव, कायमखानी, नागौरी, बहिश्ती, मांगणियार, लखेरा, मिरासी, मेहरात, चीता और घोडात शामिल हैं।

अखबार-ए-मशरिक (24 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच रस्साकशी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा की गई अध्यापकों और गैर-अध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके चलते राज्य का माहौल गर्म हो गया है। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का फैसला दिया है, जिन्हें 2010 के

बाद सरकार ने मान्यता दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार ने गैरकानूनी तरीके से ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किए हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा है कि 2010 के पहले जिन 66 वर्गों को ओबीसी श्रेणी में रखा गया था उनमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2012 के तहत सरकार द्वारा बनाई गई ओबीसी जातियों की सूची को भी रद्द कर दिया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने ओबीसी में 37 नई श्रेणियां जोड़ दी थीं। अदालत ने कहा कि 2012 के कानून में सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह जिस भी वर्ग को चाहे ओबीसी श्रेणी में शामिल कर ले और उन्हें आरक्षण का हकदार करार दे दे।

समाचारपत्र ने कहा है कि 2010 में पश्चिम बंगाल सरकार ने पसमांदा मुसलमानों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। छह महीने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने 42 पिछड़ी जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने की सिफारिश की थी, जिनमें से 41 का संबंध पसमांदा मुसलमानों से था। राज्य सरकार ने फौरन कमीशन की सिफारिश मान ली और मुसलमानों की 41 जातियों को पसमांदा मुसलमानों की सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने मई 2012 में ओबीसी ए श्रेणी की 9 और ओबीसी बी श्रेणी की 26 यानी कुल 35 जातियों को भी पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से यह अनुरोध किया था कि इस आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि सिर्फ उन्हीं जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए जो 2010 तक ओबीसी की श्रेणी में शामिल थीं। इस जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग, 1993 के कानून के आधार पर ओबीसी की नई सूची तैयार की जाए और इस सूची में सिर्फ उन्हीं जातियों को शामिल किया जाए जो 2010 तक ओबीसी जातियों से संबंधित थीं। इसके बाद 2010 के बाद वाली ओबीसी जातियों की सूची को विधानसभा से पारित करवाया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलेगी या नहीं।

हिंदुस्तान (26 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी श्रेणी के तहत दिए गए आरक्षण को रद्द करना निश्चित रूप से भाजपा और भगवा संगठनों के लिए खुशी का कारण है। भाजपा तो शुरू से ही यही चाहती है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। उनके दिलो-दिमाग में वर्षों से मुसलमानों के खिलाफ जो भावना परवान चढ़ रही थी उसे उच्च न्यायालय ने पूर्ण कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा और आरएसएस पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं और जिस भी राज्य में पसमांदा मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसे रद्द करने की बात खुलकर करने लगे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य में मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देकर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को मजबूत बनाने का जो काम किया है वह आरएसएस और भाजपा को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि भाजपा पसमांदा मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ मैदान में उतर आई है। वह पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में

मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर जनता को यह कहकर भड़काने की कोशिश कर रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया जा रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जिन मुस्लिम जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया था उनमें से 42 जातियों को राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार ने 2010 में ओबीसी का दर्जा दिया था। जबकि बाकी जातियों को ममता बनर्जी के शासनकाल में इस श्रेणी में शामिल किया गया था। समाचारपत्र का कहना है कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जो राजनीतिक टिप्पणियां की हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत की खंडपीठ ने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुसलमानों के कुछ वर्गों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया और यह लोकतंत्र व मुसलमानों की तौहीन है। फिलहाल भाजपा के लिए यह मुद्दा फायदे का बन गया है, क्योंकि जो रूख भाजपा का है लगभग वही बात अदालत ने भी कह दी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण वैसे भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वे मुस्लिम होने के आधार पर आरक्षण मांगते हैं। इस देश की सरकार और यहां के राजनीतिक नेता साफ-साफ इंकार कर देते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। रहा पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण मिलने की बात तो वह भी आसान नहीं है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि जो दलित मुसलमान बने हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिल सकता, क्योंकि इस्लाम में जात-पात की कोई व्यवस्था नहीं है। मुसलमानों को अब जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिल रहा है वह भी आज के शासकों और संघियों को पसंद नहीं आ रहा है। वे कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों के लिए इस दरवाजे को भी बंद करवा दिया जाए।

समाचारपत्र ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल का उदाहरण सबके सामने है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी के तहत सरकारी और शैक्षणिक क्षेत्र में मिल रहे आरक्षण को खत्म कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं वे और भी पिछड़ जाएंगी। अदालत के फैसले पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पिछड़े मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का जो काम किया था उस पर अदालत के फैसले से पानी फिर गया है। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, बल्कि अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्लामोफोबिया के सबसे बड़े मरीज हैं। उन्होंने यह घोषणा की है कि राज्य में मुसलमानों के आरक्षण का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। ऐसी ही घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने

भी की है। योगी की चले तो वे मुसलमानों से सारी नौकरियां छीन लें। अब कलकता उच्च न्यायालय के इस फैसले से उनके हाथ में एक नया हथियार आ गया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों को जो आरक्षण की सुविधा मिल रही है अब उसे भी खत्म किया जा सकता है।

कर्नाटक में जय श्रीराम का नारा लगाने वाले छात्रों पर हमला

इंकलाब (31 मई) के अनुसार कर्नाटक के बीदर स्थित एक कॉलेज में जय श्रीराम का नारा लगाने वाले छात्रों पर मुस्लिम छात्रों ने हमला किया है। समाचारपत्र के अनुसार इस हमले के बाद हिंदू छात्रों ने 17 मुस्लिम छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बीदर के उपायुक्त गोविंद रेड्डी ने बताया कि बीदर स्थित गुरुनानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज का वार्षिक समारोह होने वाला था, जिसमें संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रिहर्सल चल रहा था। 29 मई को इस रिहर्सल के दौरान छात्रों ने जय श्रीराम का नारा लगाया। इस पर मुस्लिम छात्रों ने आपत्ति की और उन्होंने जय श्रीराम का नारा लगाने वाले छात्रों पर हमला कर दिया। बाद में इस झगड़े में अन्य छात्र भी शामिल हो गए। इसके बाद दोनों गुटों में मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और कॉलेज में पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने इस घटना को देखते हुए वार्षिक समारोह को रद्द करने का फैसला किया है।

हमारा समाज (31 मई) के अनुसार बीदर के पुलिस अधीक्षक चेन्नाबसवन्ना लंगोटी ने कहा कि गुरुनानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्षिक समारोह के सिलसिले में युवा महोत्सव होने वाला था। एक नाटकीय रिहर्सल के दौरान कुछ छात्र जय श्रीराम का नारा लगाते हुए मंच पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर मुस्लिम छात्रों ने विरोध किया। इसके बाद दोनों गुटों में मारपीट हुई। इस मारपीट में जय श्रीराम का नारा लगाने वाले दो छात्र घायल हो गए। कॉलेज के प्रिंसिपल ने गांधीगंज थाने को फोन करके इस घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घायल छात्रों की शिकायत पर 17 मुस्लिम छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक रैली निकालकर इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कर्नाटक सरकार से मांग की कि शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज कराने वाले छात्र का नाम नटराज है। वहीं, बशीर खान, गुफरान, अनीस, शेख पाशा, बिलाल और अन्य मुस्लिम छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के खिलाफ बीदर के मुसलमानों में गुस्सा है। मुसलमानों की शिकायत है कि हिंदू छात्रों ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया। केंद्रीय मंत्री और बीदर के भाजपा सांसद भगवंत खुबा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया है और कॉलेज के प्रबंधकों से मांग की है कि वे शरारती छात्रों को कॉलेज से निष्कासित करें।

विवादों के घेरे में जौनपुर की अटाला मस्जिद

मुंबई उर्दू न्यूज (22 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद को मंदिर करार देने का विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। आगरा के वकील अजय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अटाला मस्जिद प्रबंध समिति के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे 14वीं शताब्दी में इब्राहिम शाह शर्की के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया और यहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। उन्होंने दावा किया है कि इस मस्जिद में अब भी मंदिर के अनेक पवित्र चिन्ह मौजूद हैं। उन्होंने मांग की कि इस मस्जिद का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा करवाया जाए।

सियासत (20 मई) ने यह शिकायत की है कि बाबरी विवाद पर अदालत का फैसला आने के बाद हिंदू कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ गए हैं। वे हर ऐतिहासिक मस्जिद पर प्राचीन मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि, संसद 1991 में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम पास कर चुकी है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आजादी के समय जिस उपासना स्थल की जो स्थिति थी उसे यथावत बरकरार रखा जाएगा। इसके बावजूद कट्टरपंथियों के दबाव पर अदालतों द्वारा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और धार स्थित भोजशाला व कमाल मौला दरगाह के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी गई है। बदायूं की एक पुरानी मस्जिद पर कट्टरपंथी पहले ही दावा कर चुके हैं। उनका कहना है कि यह नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर था, जिसे मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में जामा मस्जिद में बदल दिया गया। अब जौनपुर में शर्की सुल्तानों के शासनकाल में बनाई गई अटाला मस्जिद पर भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आगरा के एक वकील ने दावा किया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अटाला माता मंदिर को गिराने का आदेश तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, लेकिन जनाक्रोश के कारण इस मंदिर को ध्वस्त नहीं किया जा सका। बाद में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की ने इस मंदिर पर कब्जा करके इसे जामा मस्जिद में बदल दिया। गौरतलब है कि जौनपुर की यह मस्जिद देश की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में गिनी जाती है।

बता दें कि जौनपुर की दीवानी अदालत में एक वकील अजय प्रताप सिंह ने वाद दायर किया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में इस मस्जिद के मंदिर होने की पुष्टि की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल ई.बी. हैवेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह मस्जिद मूलतः हिंदू मंदिर है। पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस मंदिर में

त्रिशूल, पुष्प आदि के चिन्ह मिलने की पुष्टि की है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1865 की रिपोर्ट में इस मस्जिद के अनेक चित्र पेश किए हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर किया गया है।

सहाफत (23 मई) के अनुसार अटाला मस्जिद के विवाद पर टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आरोप लगाया है कि मस्जिदों को हड़पने के लिए हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा अदालतों में बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटाला मस्जिद का निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1393 में शुरू करवाया था। बाद में शर्की वंश के शासक इब्राहिम शाह शर्की ने इसे पूरा कराया। इस मस्जिद के निर्माण में 15 साल लगे थे। यह मस्जिद 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची है और यह इस्लामिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह दावा सरासर गलत है कि यह मस्जिद पहले एक मंदिर था। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के साथ शर्की सुल्तानों ने एक इस्लामी मदरसे का निर्माण करवाया था जो अब तक मौजूद है।

मौलाना रिजवी ने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में इस मस्जिद से संबंधित अनेक प्राचीन दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके बावजूद कुछ सांप्रदायिक लोग जानबूझकर ऐतिहासिक मस्जिदों के मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद केस में अदालती फैसला आने के बाद ऐसे शरारती तत्वों के हौसले बढ़ गए हैं। वे पहले यह दावा करते हैं कि इन मस्जिदों में मंदिरों के अनेक प्रमाण मौजूद हैं। इसके बाद वे अदालत का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि अदालतें भी संसद में पारित उस कानून को नजरअंदाज कर देती हैं, जिसमें यह व्यवस्था है कि उपासना स्थलों का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 में मौजूद था उसे अब बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे शरारती तत्वों पर फौरन प्रतिबंध लगाना चाहिए।

दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध

औरंगाबाद टाइम्स (18 मई) के अनुसार देश के प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के परिसर में महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संस्थान के प्रबंधकों का यह कहना है कि इस इस्लामी शिक्षण संस्थान के परिसर में महिलाओं द्वारा सेल्फी लेने या वीडियो बनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। इससे अनेक तरह का विवाद उत्पन्न हो रहा है, जो इस्लाम और शरिया की भावना के खिलाफ है। दारुल उलूम देवबंद के प्रबंधक मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि हाल ही में इस इस्लामी संस्थान के परिसर में बनाए गए अनेक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ऐसे वीडियो से इस शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करने वाले छात्रों का ध्यान भटकता है। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ वीडियो आपत्तिजनक हैं, जिससे शरिया और इस्लाम में आस्था रखने वालों की भावनाओं को चोट पहुंचती

है। उन्होंने कहा कि परिसर में स्थित रशीदिया मस्जिद में पहले से ही महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब इस प्रतिबंध को पूरे परिसर में लागू कर दिया गया है। दारुल उलूम के दरवाजों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे महिलाओं को इस शिक्षण संस्थान के परिसर में दाखिल होने की अनुमति न दें और उन्हें वापस भेज दें।

सर्वोच्च न्यायालय की वकील फरहा फैज ने कहा है कि इस तरह का प्रतिबंध अनेक हिंदू मंदिरों में भी लगा हुआ है और उनमें महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस संबंध में उन्होंने महाराष्ट्र के एक शनि मंदिर का उदाहरण भी दिया। केरल के कुछ मंदिरों में भी महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि ये वीडियो सिर्फ महिलाओं ने ही बनाए थे। यह जरूरी है कि इस शिक्षण संस्थान के परिसर में किसी भी तरह की रील्स बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। बेहतर यह होगा कि इस संस्थान में मोबाइल को ले जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। सहारनपुर में एक महिला संगठन की प्रमुख रेहाना अदीब ने कहा है कि यह आदेश महिला विरोधी है। जबकि इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि वे और कई अन्य महिलाएं दारुल उलूम के फतवा प्रकोष्ठ व पुस्तकालय में जाती रही हैं और शरीयत से संबंधित मामलों में विद्वानों से सलाह-मशवरा लेती रही हैं। अब इस प्रतिबंध के बाद महिलाएं इस मदरसे में कैसे जाएंगी? यह इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षण संस्थान के प्रबंधक अपने परिसर में वीडियो बनाने या मोबाइल ले जाने पर तो प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन इसकी आड़ में महिलाओं के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा देना सरासर गलत है।

एक अन्य समाचार के अनुसार दारुल उलूम देवबंद की कार्यकारी परिषद की दो दिवसीय बैठक में अनेक मुस्लिम नेताओं के निधन पर संवेदना प्रकट की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, मौलाना अरशद मदनी, सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी, मौलाना अनवारुल रहमान बिजनौरी, मौलाना महमूद राजस्थानी आदि शामिल हुए। इस बैठक में अधिक संख्या में अध्यापकों को नियुक्त करने और छात्रों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी विचार किया गया कि इस संस्थान में चिकित्सा शिक्षा को भी शुरू किया जाए।

मुंबई के एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (18 मई) के अनुसार मुंबई के चेम्बूर स्थित आचार्य मराठे कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कॉलेज का संबंध उद्धव ठाकरे गुट से है। आचार्य मराठे कॉलेज की प्रबंध समिति के महासचिव सुबोध आचार्य ने कहा कि यह फैसला कुछ शिकायतें मिलने के बाद किया गया है। हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करें। छात्राओं को नकाब पहनकर और बुर्का ओढ़कर समाज से अपने संबंध तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें भारतीय समाज में रहना और उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। तभी समाज के विभिन्न वर्गों में तालमेल बढ़ सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुंबई के किसी अन्य कॉलेज में भी इस तरह का प्रतिबंध है? तो उन्होंने कहा कि हमारे छात्र निम्न और मध्य वर्ग से आते हैं, इसलिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके कॉलेज ने स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया है, जिसे समाज के सभी समुदायों के लिए समान रूप से लागू किया गया है। हम किसी धर्म विशेष से संबंधित विद्यार्थियों को अलग पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने अपने जूनियर कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था और सभी छात्रों के लिए एक विशेष यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य किया था। कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रकट किया है और कहा है कि यह उनकी व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया है कि वे प्रबंध कमेटी के इस फैसले पर पुनर्विचार करें।

छात्राओं और विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने राज्य के अल्पसंख्यक आयोग से भी शिकायत की है और एक संस्था ने इस संदर्भ में कॉलेज को कानूनी नोटिस भी भेजा है। इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए कॉलेज की प्रबंध कमेटी के महासचिव सुबोध आचार्य ने कहा कि इस मामले को धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। अनेक छात्राओं के अभिभावकों ने कॉलेज के इस फैसले का समर्थन किया है। आचार्य ने कहा कि कि छात्राओं को हिजाब या बुर्का पहनने पर विवश करना उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है। यह कट्टरपंथी विचारधारा है और मैं इसके खिलाफ हूं। इस कॉलेज के एक अध्यापक अतीक अहमद खान ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संविधान ने छात्र व छात्राओं को अपने धर्म और आस्था के अनुसार आचरण करने की पूरी आजादी दी है। जबकि एक वकील सैफ आलम ने कहा कि कॉलेज के प्रबंधकों को इस बात का अधिकार किसने दिया है कि वे छात्राओं के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं पर चोट करते हुए उनके बुर्का या हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाएं।

हिंदुस्तान (17 मई) के अनुसार इस फैसले के खिलाफ मुंबई के मुसलमानों में भारी रोष है। जिस कॉलेज ने हिजाब व बुर्का पर

प्रतिबंध लगाया है और इसे अश्लील लिबास घोषित किया है वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक नेता का है। आर्चाय मराठे कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला है, जिसमें उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे हिजाब, नकाब या फिर बुर्का पहनकर कॉलेज न आएं। इस फैसले के खिलाफ कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और 'तानाशाही नहीं चलेगी, नया आदेश वापस लो' जैसे नारे लगाए। मुंबई के मुस्लिम संगठन सलीम सारंग फाउंडेशन के प्रमुख ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि आचार्य मराठे कॉलेज उद्धव ठाकरे के साथी सुबोध आचार्य द्वारा चलाया जाता है। इस गुट की मुस्लिम विरोधी नीतियां जगजाहिर है, इसलिए वह जानबूझकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। मुसलमानों को उनके धार्मिक आस्थाओं से दूर रखा जा रहा है। तथाकथित सेक्युलर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती हैं, मुसलमान नहीं। विख्यात मुस्लिम नेता मौलाना अशरफी ने कॉलेज प्रबंधकों से मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस कॉलेज की कुछ छात्राओं ने बताया कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर इस फैसले का विरोध किया था, मगर उन्होंने इसे वापस लेने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस संदर्भ में अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग में शिकायत कर रहे हैं। अली शाह नामक मुस्लिम नेता ने कहा है कि लोगों को हिजाब से नहीं बल्कि मुसलमानों से चिढ़ है। कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या गौरी लेले ने कहा कि सभी छात्राओं के लिए एक समान यूनिफॉर्म होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह फैसला छात्राओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। छात्राओं को कॉलेज परिसर में दाखिल होने से पहले बुर्का, हिजाब या स्कार्फ को उतारना होगा। कॉलेज से घर जाते वक्त वे इन्हें फिर से पहन सकती हैं, लेकिन कॉलेज परिसर में उन्हें निर्धारित यूनिफॉर्म में ही रहना होगा।

उर्दू टाइम्स (20 मई) के अनुसार कर्नाटक की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, वहां की मुस्लिम छात्राओं ने इस पाबंदी को मानने से इंकार कर दिया था। जब उन पर यह शर्त लगाई गई कि वे बुर्का पहनकर कॉलेज नहीं आएंगी तो बहुत सारी मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रकट करते हुए कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। खैर, कर्नाटक के मुसलमानों ने सब्र किया और विधानसभा के चुनाव का इंतजार किया। इस चुनाव में मुसलमानों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिए और भाजपा के हाथ से सत्ता निकल गई। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने घोषणा की कि बुर्का पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब आचार्य मराठे कॉलेज से बुर्का पर प्रतिबंध का सिलसिला शुरू हो गया है। बुर्के को नौकरी से जोड़ना सरासर गलत है। आज भी प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में सैकड़ों मुस्लिम लड़कियां बुर्का या हिजाब पहनकर नौकरी कर रही हैं। कॉलेज के प्रबंधकों की क्या मजबूरी थी कि चुनाव के दौरान उन्होंने यह फैसला किया। हमें तो इसमें सरकार की कोई गहरी साजिश लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने कॉलेज प्रशासन पर दबाव डालकर बुर्के पर प्रतिबंध का यह सर्कुलर जारी करवाया है ताकि मुसलमानों में गुस्सा बढ़े और इस फैसले से नाराज होकर मुसलमान उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपने वोट न दें। यह फैसला घोर निंदनीय है। अब मुसलमानों को चाहिए कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की तरह एकजुट होकर वे भाजपा के खिलाफ अपने वोट दें और उसे सत्ता से बाहर कर दें।

तीन यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता

सहाफत (29 मई) के अनुसार स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। इन तीनों देशों ने फिलिस्तीन के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने की भी घोषणा की है। उनके इस फैसले का इजरायल ने सख्त विरोध किया है। इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि स्पेन ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। उसके इस फैसले से यूरोपीय यूनियन के अन्य देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव में विश्व के 140 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिए जाने का समर्थन किया था। बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, माल्टा, पोलैंड और रोमानिया ने इससे पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे रखी है। इस बात के संकेत भी मिले हैं कि स्लोवेनिया भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रहा है।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अपने मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेन ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देकर ऐतिहासिक न्याय किया है। इस फैसले से मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम दो देशों के सिद्धांत के समर्थक हैं। हमें आशा है कि इस फैसले से इजरायल की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हमास को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि वह दो राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ है और उसने सात अक्टूबर को इजरायल पर जो हमला किया था उसके कारण गाजा में युद्ध की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के प्रश्न पर यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं। जबकि अमेरिका और

पश्चिमी यूरोपीय देशों का कहना है कि जब तक यरुशलम की स्थिति साफ नहीं होती तब तक हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे। फ्रांस का कहना है कि अभी समय नहीं आया है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। जबकि जर्मनी ने कहा है कि उसकी सरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद ही इस संबंध में कोई फैसला करेगी। इन तीन यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के बाद अब उसके समर्थक देशों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है। वहीं, आयरलैंड की राजधानी डबलिन में फिलिस्तीन का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया है और इस बात की घोषणा की गई है कि आयरलैंड शीघ्र ही फिलिस्तीन में अपना राजदूत भेजेगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब ने घोषणा की है कि जब तक इजरायल फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा नहीं करता तब तक उसका अस्तित्व खतरे में रहेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने बेल्जियम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना उसके हित में होगा। जबकि नॉर्वे ने घोषणा की है कि वह जल्द ही फिलिस्तीन में अपना दूतावास स्थापित करेगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 मई) के अनुसार व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के तीन यूरोपीय देशों के फैसले के सख्त खिलाफ हैं। प्रवक्ता ने कहा कि जब तक इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत के जरिए कोई समझौता नहीं होता तब तक विश्व के किसी भी देश को फिलिस्तीन को मान्यता देने से बचना चाहिए। इजरायल ने आयरलैंड और नॉर्वे के राजदूतों को इजरायली विदेश मंत्रालय में तलब करके यह धमकी दी है कि अगर ये तीनों देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के संबंध में अपनी नीति पर स्पष्टीकरण नहीं देते तो इजरायल उनके साथ अपने राजनयिक संबंध को समाप्त करने पर विचार करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम इन तीन यूरोपीय देशों के इस फैसले पर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका यह फैसला इजरायल के प्रति दुश्मनी का एक संकेत है।

औरंगाबाद टाइम्स (23 मई) के अनुसार इजरायल ने स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने की घोषणा की है। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो देश इजरायल के दुश्मनों को मान्यता देता है वह इजरायल की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे देशों के खिलाफ इजरायल सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर हमास और ईरान को आतंकवाद के लिए पुरस्कृत किया है।

अखबार-ए-मशरिक (28 मई) के अनुसार फिलिस्तीनी विदेश मंत्री, पीएलओ और हमास ने आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के इस फैसले का स्वागत किया है। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार

बहामास, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमैका और बारबाडोस इससे पहले ही फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे चुके हैं। गौरतलब है कि 15 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) के अध्यक्ष यासिर अराफात ने अल्जीरिया में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था और यरुशलम को उसकी राजधानी बताया था। जानकार सूत्रों के अनुसार नॉर्वे सऊदी अरब के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को विस्तृत रूप देने का प्रयास कर रहा है और फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना उसकी इसी नीति का संकेत है।

पाकिस्तान में कुरान के अपमान की आड़ में ईसाइयों पर हमले

हिंदुस्तान (27 मई) के अनुसार पाकिस्तानी पंजाब के सरगोधा नगर की मुजाहिद कॉलोनी में कुरान के कथित अपमान की घटना के बाद उग्र भीड़ ने ईसाइयों के घरों पर हमला कर दिया है। इस हमले में कई ईसाई जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जाता है कि कुरान के अपमान के कथित आरोपी नजीर मसीह और उसके बेटे के घरों और कारखानों में लूटपाट करने के बाद आग लगा दी गई है। पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजाहिद कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि एक ईसाई व्यक्ति नजीर मसीह ने कचरे के एक डब्बे में रखे हुए कुरान के कुछ पृष्ठों को निकालकर आग लगा दी थी। जब यह समाचार नगर में फैला तो मुसलमानों की उग्र भीड़ ने उसके मकान पर हमला कर दिया। नजीर मसीह का दावा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसका कहना है कि कचरे का यह डब्बा किसी धार्मिक संगठन ने वहां पर लगाया हुआ है। इसमें मोहल्ले के लोग कचरा डालते हैं, जिसे बाद में सफाई कर्मचारी निकालकर ले जाते हैं। वह यह नहीं जानता कि कुरान के इन फटे पुराने पृष्ठों को गली में रखकर किसने जलाया था। उसने कहा कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अल्पसंख्यकों का जीना दूभर होता जा रहा है। उसने कहा कि भीड़ ने पहले उसे मारा-पीटा और घर का सारा सामान लूटने के बाद उसमें आग लगा दी। उसने कहा कि जब पुलिस भीड़ के चंगुल से बचाकर उसे अस्पताल ले जा रही थी तो कुछ युवकों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें अनेक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत के अभियान पर चिंता प्रकट की है और जिला प्रशासन से मांग की है कि वह ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्काल कार्रवाई करे। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पुलिस महानिरीक्षक को मौके पर तुरंत जाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पंजाब विधानसभा में ईसाई विधायक इमैनुएल अथर जूलियस ने पंजाब की मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

तासीर (28 मई) के अनुसार सरगोधा जिला प्रशासन ने पूरे नगर में धारा 144 लगा दी है। इसके अतिरिक्त ईसाई बस्तियों और गिरजाघरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने इस संदर्भ में दो मुकदमे दर्ज किए हैं। सरगोधा के पुलिस अधीक्षक जियाउल्लाह ने कहा है कि सशस्त्र पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च किया है। पंजाब के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने दावा किया है कि पाकिस्तानी संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था मौजूद है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं।

टिप्पणी : किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में 1860 में ही कानून लागू कर दिया था। 1927 में इस कानून में संशोधन करके एक धारा 295 भी शामिल की गई थी। गौरतलब है कि 1927 में महाशय राजपाल ने 'रंगीला रसूल' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसके खिलाफ पंजाबी मुसलमानों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए थे और मुस्लिम नेता मोहम्मद इकबाल ने अपने भाषणों के जरिए हजरत मोहम्मद की तौहीन करने वालों से बदला लेने के लिए मुसलमानों को उकसाया था। इसके बाद एक मुस्लिम बढ़ई अलीमुद्दीन ने इस पुस्तक के प्रकाशक महाशय राजपाल की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्यारे को फांसी से बचाने के लिए मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस केस की मुफ्त पैरवी की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अलीमुद्दीन की फांसी की सजा को बरकरार रखा और उसे फांसी पर लटका दिया गया। तब से अलीमुद्दीन को 'इस्लाम का रक्षक' और 'शहीद' माना जाता है।

पाकिस्तान के निर्माण के बाद जब जनरल जिया उल हक सत्ता में आए तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके इस्लाम, कुरान और रसूल की तौहीन करने वालों के लिए उम्रकैद और फांसी की सजा को लागू कर दिया। इसके बाद से पाकिस्तान में इस्लाम, कुरान और रसूल की तौहीन की आड़ में अल्पसंख्यकों को निरंतर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 15 सालों में इस संबंध में लगभग दो हजार मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इस अवधि में मुसलमानों की उग्र भीड़ कुरान के अपमान के कथित आरोप में 89 लोगों की हत्या कर चुकी है, जिनमें 18 महिलाएं भी शामिल हैं। खास बात यह है कि 70 प्रतिशत घटनाएं पाकिस्तानी पंजाब में हुई हैं। कुछ साल पहले जब एक ईसाई महिला आसिया बीबी को ईशनिंदा के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी तो पाकिस्तानी पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी से जेल में मुलाकात की थी और उनकी माफी के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने ईशनिंदा कानून को काला कानून करार दिया था। इसके बाद से तासीर को लगातार धमकियां मिलने लगीं। 2011 में सलमान तासीर की उनके ही अंगरक्षक मुमताज कादरी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाद

में हत्यारे कादरी को फांसी के फंदे से बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने जबर्दस्त अभियान चलाया था। आसिया बीबी को फांसी से बचने के लिए विदेश में शरण लेनी पड़ी थी। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक नेताओं का आरोप है कि गैर-मुसलमानों को जबरन मुसलमान बनाने के लिए इस्लाम और रसूल की तौहीन के झूठे आरोपों का सहारा लिया जाता है।

किर्गिस्तान में भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों पर हमले

हमारा समाज (19 मई) के अनुसार किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में दंगाईयों द्वारा भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों पर किए गए हमलों में कम-से-कम 29 छात्रों के घायल होने की पुष्टि की गई है। स्थानीय पुलिस ने इस संदर्भ में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन हमलों की शुरुआत 13 मई को स्थानीय नागरिकों द्वारा मिस्री छात्रों के साथ झड़पों से हुई। जब इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए तो नगर में हिंसा भड़क उठी। किर्गिस्तान की उग्र भीड़ ने उन होटलों और आवासीय बस्तियों पर हमले शुरू कर दिए जहां पर विदेशी छात्र रह रहे थे। जब स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो भारतीय और पाकिस्तानी दूतावास की ओर से अपने नागरिकों को यह मशवरा दिया गया कि वे स्थिति सुधरने तक अपने आवास से बाहर न आएं। किर्गिस्तान के अधिकारियों के अनुसार स्थानीय लोगों पर कथित हमले के आरोप में चार विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। किर्गिस्तान सरकार ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि पकड़े गए लोगों का संबंध किस देश से है।

पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन हमलों में किसी भी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक दर्जन से अधिक पाकिस्तानी छात्रों के घायल होने की खबर है। किर्गिस्तान की सरकार ने यह दावा किया है कि स्थिति काबू में है और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तानी छात्रों का दावा है कि नशे में धुत किर्गिस्तान के कुछ छात्रों ने मिस्र की छात्राओं के होस्टल में घुसकर उनसे अभद्र व्यवहार किया था, जिसका विरोध मिस्र के छात्रों ने किया। इसी दौरान यह समाचार फैल गया कि स्थानीय छात्रों पर हमला करने वाले युवक पाकिस्तानी हैं। इस अफवाह के

फैलने के बाद उग्र भीड़ ने भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों के आवास पर हमले शुरू कर दिए। हालांकि, किर्गिस्तान सरकार ने यह दावा किया है कि स्थिति पर काबू पाने के लिए हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस और सेना की तैनाती की गई है, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों का यह दावा है कि पुलिस और सेना दंगाईयों को रोकने में विफल रही है। सरकारी तौर पर इन हमलों में 29 छात्रों के घायल होने का दावा किया गया है। जबकि सोशल मीडिया पर घायलों की संख्या 100-150 बताई जा रही है। गौरतलब है कि किर्गिस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित कई देशों के सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (31 मई) के अनुसार किर्गिस्तान के पाकिस्तान स्थित राजदूत ने संवाददाताओं को बताया कि बिश्केक में विदेशी छात्रों पर हुए हमलों के पीछे एक कट्टरपंथी गुट का हाथ है। उन्होंने कहा कि इस हमले के सिलसिले में किर्गिस्तान की सरकार ने गुप्तचर विभाग के प्रमुख सहित नौ अन्य उच्चाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में नगर के विदेशी छात्रों के होस्टल में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़पें हुई थीं। इन झड़पों के वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय नागरिकों की एक उत्तेजक भीड़ ने विदेशी छात्रों के आवासीय स्थानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों में 20 से अधिक विदेशी छात्र घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी एजेंसियों ने इन झड़पों से संबंधित समाचारों को जानबूझकर उन देशों की जनता के सामने परोसा, जिनके छात्र किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं। यह किर्गिस्तान और उन देशों के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध को बिगाड़ने का प्रयास था।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 मई) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान स्थित पाकिस्तानी राजदूत हसन अली जैगम को निर्देश दिया है कि किर्गिस्तान से पाकिस्तानी छात्रों को स्वदेश भेजने के लिए वायुयानों की विशेष व्यवस्था की जाए। जो पाकिस्तानी छात्र इन हमलों में घायल हुए हैं उनकी स्वदेश वापसी और इलाज की व्यवस्था करने की भी पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 मई) के अनुसार किर्गिस्तान में विदेशी छात्र बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी स्वदेश वापसी के लिए विमानों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। पाकिस्तान सरकार ने 125 छात्रों को स्वदेश लाने के लिए जो विशेष विमान वहां पर भेजा था उसे वहां की सरकार ने उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने किर्गिस्तान में छात्रों पर हुए हमलों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की है।

अवधनामा (23 मई) के अनुसार किर्गिस्तान से विदेशी छात्रों के स्वदेश वापस लौटने की अभी तक संतोषजनक व्यवस्था नहीं की जा सकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते

हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बिश्केक का दौरा किया है। पाकिस्तानी छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि अभी विदेशी छात्र हवाई अड्डों पर ही डेरे डाले हुए हैं और उनकी वापसी के लिए कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं हो सकी है।

एतेमाद (22 मई) ने अपने संपादकीय में किर्गिस्तान की स्थिति पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इससे पहले 2010 में भी किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों के खिलाफ हिंसा हुई थी और तब भी सैकड़ों छात्रों को वहां से वापस स्वदेश आना पड़ा था। समाचारपत्र के अनुसार 15 हजार से अधिक भारतीय छात्र किर्गिस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। वहां के मेडिकल कॉलेज विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अभी तक इन भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी के लिए कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की जा सकी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीय छात्र व छात्राओं को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस स्वदेश लौटना पड़ा था। बाद में क्योंकि उनकी पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी थी, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें वापस यूक्रेन भेजवा दिया था ताकि वे अपनी मेडिकल की पढ़ाई को वहीं पूरा कर सकें। अब किर्गिस्तान में जो दंगे भड़के हैं उसके कारण वहां पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। गौरतलब है कि किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। इसकी सीमा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगती है। किर्गिस्तान में 80 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की है। जबकि 15 प्रतिशत रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार किर्गिस्तान की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के बाद मध्य एशिया का दूसरा सबसे गरीब देश है।

समाचारपत्र के अनुसार इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया है कि किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की फौरन व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि भारतीय दूतावास इन छात्रों की वापसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। आर्थिक बदहाली के कारण अधिकांश भारतीय छात्र व छात्राएं भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। बिश्केक स्थित भारतीय दूतावास ने दावा किया है कि वहां पर पढ़ने वाले सभी छात्र सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार किर्गिस्तान सरकार के निरंतर संपर्क में है और स्थिति पर गहराई से नजर रखी जा रही है।

सियासत (19 मई) के अनुसार विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका, कनाडा और किर्गिस्तान आदि अनेक देशों में भारतीय विद्यार्थियों पर हो रहे हमलों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। इसके कारण कई छात्रों को अपनी पढ़ाई अधूरा छोड़कर वापस स्वदेश लौटना पड़ रहा है। भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह विदेशों में पढ़ाई करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। यह मामला टालने का नहीं है। केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए।

पाकिस्तान में 23 आतंकवादी मारे गए

सहाफत (28 मई) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में 23 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। जबकि आतंकवादियों की गोली से कम-से-कम पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुप्तचर सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पाकिस्तानी सेना ने टांक जिले में आतंकवादियों के अड्डे पर धावा बोलकर दस आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी झड़प खैबर जिले के बाग क्षेत्र में हुई, जिसमें सात आतंकवादी मारे गए। जबकि दो आतंकवादियों को घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में की गई एक अन्य कार्रवाई में छह आतंकवादी मारे गए। सेना ने दावा किया है कि इन आतंकवादियों का संबंध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और आईएसआईएस से था। ये आतंकवादी काफी समय से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। सरकार ने दावा किया है कि इन आतंकवादियों को अफगानिस्तान स्थित आतंकी शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें वहीं पर हथियार और विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध कराए गए थे। एक अन्य कार्रवाई पेशावर जिले के हसन खेल क्षेत्र में की गई, जिसमें सात आतंकवादी मारे गए। जबकि आतंकवादियों की गोली से पाकिस्तानी सेना का एक कप्तान और एक सिपाही भी मारा गया।

पाकिस्तानी अखबार **मशरिक** (23 मई) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बन्नू में एक सुन्नी विद्वान की कुछ आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि उनका एक सहयोगी मौलवी अमीर उल्लाह घायल हो गया। पुलिस के बयान के मुताबिक मौलाना इरफान उल्लाह खतीब जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद अपने कुछ सहयोगियों के साथ वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया। मौलाना पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इन आतंकियों का संबंध किसी शिया आतंकी संगठन से बताया जाता है। पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में इस पूरे क्षेत्र में खोजी अभियान तेज कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 मई) के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि बेशाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी योजना अफगानिस्तान में स्थित एक आतंकी शिविर में बनाई गई थी। इस हमले में एक पाकिस्तानी ड्राइवर सहित पांच चीनी विशेषज्ञ मारे गए थे। उन्होंने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती और आर्थिक संबंधों में पलीता लगाने के लिए विदेशी शक्तियां जिस तरह से चीनी नागरिकों की लक्षित हत्या करवा रही हैं वह बहुत गंभीर है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने चीनियों को निशाना बनाने वाले तत्वों का पता लगा लिया है और इस संबंध में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका

है। उन्होंने पुलिस के साथ पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि उन्हें इन हमलों के लिए अफगानिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया था। इन हमलावरों का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी से है। हमने इस संदर्भ में अफगानिस्तान सरकार से विरोध भी प्रकट किया था, लेकिन उसने हमारे इस विरोध को नजरअंदाज कर दिया है।

तासीर (19 मई) के अनुसार आतंकवादियों ने पाकिस्तान के एक गर्ल्स स्कूल पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के जिला दक्षिण वजीरिस्तान में हुआ। इससे पहले भी टीटीपी के आतंकियों ने एक अन्य गर्ल्स स्कूल को बमों से उड़ा दिया था। टीटीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की बेपर्दगी और उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध है, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इन स्कूलों को तबाह कर दिया जाए। हालांकि, टीटीपी एक अलग आतंकी गुट है, लेकिन उसका अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान से गहरा रिश्ता है।

एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान अफगान सीमा पर अफगान सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच हुई झड़पों में कम-से-कम एक दर्जन लोग मारे गए। मरने वालों में एक महिला और दो युवक भी शामिल हैं। यह झड़प अफगानिस्तान के जिला दंड वा पाटन की सीमा पर हुई। यह झड़प पांच दिनों तक जारी रही। बताया जाता है कि इस झड़प का कारण यह था कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा का अतिक्रमण करके अफगान सीमा में अपनी चौकी बना ली थी। इस झड़प के दौरान कई गांवों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसके बाद इस क्षेत्र से नागरिकों का पलायन शुरू हो गया है। इन झड़पों के बाद दंड वा पाटन जिले में स्थित खारलाची क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता था। पाकिस्तानी सेना ने यह पुष्टि की है कि इस झड़प में उसके तीन सैनिक और चार नागरिक मारे गए हैं। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने एक दर्जन अफगान सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, लेकिन अफगान सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

हमारा समाज (19 मई) के अनुसार अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादियों ने बामियान में विदेशी पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें स्पेन के तीन नागरिक और उनका एक अफगान गाइड भी मारा गया। मरने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मुफ्ती अब्दुल मतीन कानी ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। अफगान पुलिस ने इस हमले से जुड़े हुए चार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि इस हमले की योजना पाकिस्तान के ग्वादर क्षेत्र में बनाई गई थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान और ईरान ने हाल ही में अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा को बंद करने की घोषणा की है।

हिंदुस्तान (16 मई) के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल एरिक कुरिल्ला ने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया और वहां

के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से लंबी बातचीत की। बताया जाता है कि अमेरिका के आतंकवाद निरोधक प्रकोष्ठ की प्रमुख एलिजाबेथ रिचर्ड और ओआईसी के पाकिस्तानी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक के एजेंडे के बारे में मीडिया को अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। बताया जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सीमाओं पर बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों और विशेष रूप से इस्लामी आतंकवाद के फिर से संगठित होने पर चिंता प्रकट की है। अमेरिका ने दावा किया है कि तालिबान के निर्देश पर अफगानिस्तान में अलकायदा जैसे अमेरिका विरोधी इस्लामी आतंकी गुटों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। इससे भविष्य में पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

मॉस्को में हुए नरसंहार के पीछे आईएसआईएस का हाथ

उर्दू टाइम्स (25 मई) के अनुसार रूस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार मार्च महीने में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए नरसंहार के लिए इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस को दोषी ठहराया है। इस हमले में कम-से-कम 140 नागरिक मारे गए थे। हालांकि, इस हमले की जिम्मेवारी आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर ने तुरंत स्वीकार कर ली थी, लेकिन रूसी प्रशासन का दावा था कि इस हमले के पीछे अमेरिका और यूक्रेन का हाथ है। रूस सरकार ने यह भी दावा किया था कि इस हमले का संचालन करने वालों ने यह व्यवस्था की थी कि हमलावरों को यूक्रेन में शरण दी जाएगी।

रूस के गुप्तचर विभाग ने यह भी संदेह व्यक्त किया था कि इस हमले की योजना यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग ने अमेरिका के सहयोग से किया है। रूस के इस आरोप का खंडन यूक्रेन और अमेरिका दोनों ने किया था। इस हमले के तुरंत बाद रूसी गुप्तचर विभाग ने चार हमलावरों को घटनास्थल से ही घायलावस्था में हिरासत में

ले लिया था। उनसे हुई पूछताछ के बाद तीन दर्जन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। रूसी अधिकारियों ने यह दावा किया था कि गिरफ्तार किए गए सभी इस्लामी आतंकियों का संबंध ताजिकिस्तान से है, जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा पर स्थित है। दूसरी ओर, अमेरिका ने यह दावा किया था कि उसने रूस को इस हमले के बारे में काफी पहले सूचित कर दिया था, लेकिन उसने इस हमले को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

फ्रांस से मुसलमानों का पलायन

उर्दू टाइम्स (18 मई) के अनुसार फ्रांस में दिन-प्रतिदिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का माहौल बन रहा है उसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमान अब फ्रांस से पलायन करके लंदन, न्यूयॉक, कनाडा और दुबई में बस रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार पिछले छह महीने में एक हजार से अधिक फ्रांसीसी मूल के मुसलमानों ने फ्रांस से पलायन किया है। ये लोग उन मुसलमानों की संताने हैं, जो उज्जवल भविष्य की तलाश में अफ्रीका के फ्रांसीसी औपनिवेशिक क्षेत्रों से फ्रांस में आए थे। 2015 के बाद से फ्रांस में दिन-प्रतिदिन इस्लाम के खिलाफ माहौल बढ़ा है। हाल ही में फ्रांस में अबाया और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली महिलाओं पर भीड़ द्वारा हमलों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि फ्रांस की पुलिस व प्रशासन का रवैया मुसलमानों के प्रति द्वेषपूर्ण है। उन्हें विभिन्न बहानों की आड़ में जानबूझकर परेशान किया जाता है। इससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। फ्रांस में 1978 का एक कानून है, जिसमें नागरिकों की नस्ल या धर्म के आधार पर आंकड़ा इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है। इस कानून के कारण मुसलमानों के साथ भेदभाव की घटनाओं के आंकड़े इकट्ठा करना संभव नहीं है। दूसरी ओर, फ्रांस सरकार का कहना है कि मुस्लिम संगठनों का यह दावा सरासर गलत है। वे जानबूझकर फ्रांस की सरकार को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं।

ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन

उर्दू टाइम्स (21 मई) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर हुसैन-अब्दुल्लाहियन सहित ईरान के नौ उच्चाधिकारी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। खराब मौसम के कारण दुर्घटनास्थल पर पहुंचने में राहत टीमों को दो दिन लग गए। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'आईआरएनए' ने कहा है कि मरने वाले अन्य लोगों में तबरेज के इमाम सैयद मोहम्मद अली आले-हाशम और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर जनरल मलिक रहमती के अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी और अंगरक्षक भी शामिल थे। बताया जाता है कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब इब्राहिम रईसी ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान में दोनों देशों के सहयोग से बनाए गए एक बांध का उद्घाटन करने के बाद वापस स्वदेश लौट रहे थे। कहा जाता है कि रईसी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ इस बांध का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। यह तीसरा बांध है, जिसे दोनों देशों ने संयुक्त रूप से अरास नदी पर बनाया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 मई) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने पांच दिनों तक देशभर में राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उन्हें 50 दिनों के अंदर देश में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। ईरान के संविधान की धारा 131 के अनुसार नए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था के लिए एक काउंसिल का गठन करना भी अनिवार्य है। इस उच्चस्तरीय काउंसिल में कार्यवाहक राष्ट्रपति के अतिरिक्त ईरानी संसद के अध्यक्ष और ईरान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख भी सदस्य होंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर का जन्म 1 सितंबर 1955 को हुआ था। वे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के नजदीकी माने जाते हैं। 2021 में जब इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति

चुने गए तो मोहम्मद मोखबर को उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेवारी दी गई। हाल ही में उपराष्ट्रपति मोखबर रूस से हथियार खरीदने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मॉस्को गए थे। इसके बाद ईरान ने रूस से भारी संख्या में ड्रोन और मिसाइल खरीदे थे। यूरोपीय यूनियन ने 2010 में मोहम्मद मोखबर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करने के कार्यक्रम का संचालन उन्हीं की निगरानी में किया जा रहा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति रईसी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है और देशभर में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की भी घोषणा की है। वहीं, लेबनान ने तीन दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है। अली बघेरी कानी को ईरान का कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उसके कारण ईरान के उड्डयन उद्योग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण हमें कलपुर्जे, आधुनिक विमान व हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (21 मई) के अनुसार दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के मशहद नामक नगर में हुआ था। उन्होंने इस्लाम की धार्मिक शिक्षा कोम के एक मदरसे से प्राप्त की थी। 20 साल की उम्र में वे ईरान के न्यायतंत्र में शामिल हुए और हमादान व तेहरान के महाभियोजक बने। 2014 में उन्हें ईरान का महाभियोजक नियुक्त किया गया। रईसी 1988 में गठित उस न्याय समिति में भी शामिल थे, जिसके आदेश पर हजारों ईरानी नागरिकों को मौत की सजा दी गई थी। बाद में इस समिति को 'डेथ कमेटी' भी कहा जाने लगा। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में रईसी उदारवादी नेता हसन रूहानी से हार गए थे। 2021 में उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में रूहानी को पराजित कर दिया और वे ईरान के आठवें राष्ट्रपति चुने हुए। रईसी के शासनकाल में 22 वर्षीय कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाने के बाद ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों की ज्वाला भड़क उठी थी। रईसी को कट्टरवादी नेता माना जाता था।

इब्राहिम रईसी ने 2023 में चीन का दौरा किया और दोनों देशों के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रईसी ने गाजा युद्ध में इजरायली अतिक्रमण की घोर निंदा की थी और आरोप लगाया था कि अमेरिका की सहायता से इजरायल गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। इजरायल और पश्चिमी देशों द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हमास व अन्य शिया मिलिशिया संगठनों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और ईरान द्वारा हमास और हूती विद्रोहियों को हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। रईसी ने अप्रैल महीने में पाकिस्तान का भी दौरा किया था। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने आपसी व्यापार में

वृद्धि से संबंधित अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

उर्दू टाइम्स (23 मई) के अनुसार रईसी को मशहद स्थित इमाम अली रजा के दरगाह परिसर में दफनाया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने उनकी नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई। जनाजा में लाखों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर 40 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आदि भी शामिल थे। ईरानी मीडिया के अनुसार रईसी के जनाजा में दस देशों के प्रमुखों और 30 देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 मई) के अनुसार ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव 28 जून को होगा। चुनावी अभियान 12 जून से शुरू होकर 27 जून तक चलेगा। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने हेलीकॉप्ट दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है।

सहाफत (31 मई) के अनुसार इस जांच कमेटी ने इस दुर्घटना में किसी विदेशी ताकत का हाथ होने से इंकार किया है। हालांकि, साथ में यह भी कहा है कि दुर्घटना से एक घंटे पहले इस हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसी खराबी आ गई थी, जिससे इसके सिग्नल प्रसारित होने बंद हो गए थे।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ के इस आरोप को निराधार बताया है कि इस दुर्घटना के पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद 45 वर्षीय एक पुराने हेलीकॉप्टर को राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल करना इस दुर्घटना का मुख्य कारण है। इसके लिए खुद ईरान जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद ईरान ने अमेरिका से जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया था, लॉजिस्टिक कारणों के चलते हम ईरान के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच के संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच के राजनयिक संबंध पहले ही समाप्त हो चुके हैं। अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के विकास की आड़ में ईरान पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं।

हिंदुस्तान (25 मई) के अनुसार इजरायल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस दुर्घटना में इजरायल या उसकी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है।

हिंदुस्तान (22 मई) के अनुसार अमेरिका ने ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर संवेदना तो प्रकट की है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि रईसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए थे। रईसी ईरानी जनता के विरोध को कुचलने और मानवाधिकारों का हनन के जिम्मेवार थे। वे हमास आदि अनेक आतंकी संगठनों की हर तरह से सहायता करते थे। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इब्राहिम रईसी पर इसलिए प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उनकी निगरानी में ऐसे लोगों को फांसी दी गई, जो नाबालिग थे। ईरान में कैदियों का उत्पीड़न और उन्हें सख्त सजा देने का जो सिलसिला चल रहा है उसके लिए न्यायपालिका के प्रमुख होने के नाते रईसी भी जिम्मेवार थे।

सहाफत (22 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पिछले कुछ सालों में ईरान की कई महत्त्वपूर्ण हस्तियों का या तो कत्ल कर दिया गया या किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उदाहरण के तौर पर 2020 में ईरान के नायक और कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में एक मिसाइल हमले में मार गिराया था। 2020 में ही ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। ईरान में होने वाले अनेक आतंकी हमलों के पीछे अमेरिका और इजरायल के हाथ होने का

संदेह प्रकट किया गया है। हाल ही में रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत के पीछे भी किसी साजिश का संदेह होना स्वाभाविक है। यह भी बताया जा रहा है कि रईसी जिस हेलीकॉप्टर पर सवार थे वह 45 साल पुराना था और इस मॉडल के कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ईरान की संवाद समिति के अनुसार रईसी का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसे अमेरिका ने 1979 में ईरान को बेचा था। सवाल यह पैदा होता है कि अगर रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इसी काफिले में शामिल दो अन्य हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल तक सुरक्षित कैसे पहुंच गए। कुछ लोग इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी।

हमारा समाज (23 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल और अमेरिका के साथ ईरान के जो तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं उसके कारण इस दुर्घटना के पीछे किसी साजिश की संभावना से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल यह है कि यदि खराब मौसम था तो ईरान के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अजरबैजान गए थे? यह तथ्य सर्वविदित है कि लंबे समय से ईरान और अजरबैजान के संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं और अजरबैजान की इजरायल से दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। कुछ समय पहले तेहरान में अजरबैजान के दूतावास पर हमला हुआ था। इस संदर्भ में ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब का नाम सामने आया था। वैसे ही पाकिस्तान और ईरान के संबंध भी इन दिनों तनावपूर्ण हैं। हालांकि, रईसी ने पाकिस्तान का दौरा करके इस संबंध को सुधारने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि हाल ही में ओआईसी के प्रयासों से अजरबैजान और ईरान के संबंधों में सुधार हुआ था। ईरानी जनता भी दो गुटों में बंटी हुई है। एक ओर कट्टरपंथी लोग हैं तो दूसरी ओर लिबरल। ईरान में अगले वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था और यह माना जा रहा था कि रईसी फिर से इस चुनाव में सफल होंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई 85 साल के हो चुके हैं, इसलिए उनके उत्तराधिकारी के तौर पर रईसी के नाम की चर्चा भी गर्म थी। इजरायल ने गाजा में युद्ध के दौरान यह आरोप लगाया था कि हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है। अपने शत्रुओं की लक्षित हत्या करने में इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद हमेशा चर्चा में रहा है, इसलिए इस बात की संभावना है कि रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो। या उसमें कोई विस्फोटक रखवा दिया गया हो, जैसे जनरल जिया उल हक के जहाज में रखवाया गया था। ईरान में विदेशियों के इशारे पर आतंकवाद की अनेक घटनाएं हो चुकी है, जिसमें काफी लोग मारे गए हैं। रईसी के प्रयासों से ही चाबहार मामले में भारत और ईरान के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ है। आशा

है कि इन दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध पर रईसी की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा।

एतेमाद (23 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस दुर्घटना के पीछे इजरायल और अमेरिका का हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता। ईरानी जनता दो गुटों में बंटी हुई है और इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि रईसी अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी जगह ले सकते हैं। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था तो यह आरोप लगाया गया था कि ईरान ने हमास को इजरायल पर हमला करने के लिए उकसाया था। इस साल के अप्रैल महीने में दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर इजरायल ने हमला करके कई ईरानी उच्चाधिकारियों की हत्या कर दी थी, इसलिए रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के पीछे मोसाद के हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

उर्दू टाइम्स (22 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ ईरान हमास की मदद कर रहा था और इब्राहिम रईसी ने हमास के साथ अपने संबंधों को छिपाने की कभी कोशिश नहीं की। ऐसे हालात में रईसी की मौत से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला तो यह कि इस हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कैसे टूटा? इस दुर्घटना के बाद सबसे पहले इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद ने खुद ही यह सफाई पेश कर दी कि इस दुर्घटना में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि, जब यह सफाई पेश की गई तो किसी को इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सफाई जानबूझकर दी गई ताकि मोसाद साजिश के आरोप से बच सके। अगर यह दुर्घटना किसी साजिश का हिस्सा है तो यह ईरान के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (21 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इब्राहिम रईसी विदेशी ताकतों की आंख की किरकिरी बने हुए थे। इसके अतिरिक्त अपने देश में भी उनके दुश्मनों की कमी नहीं थी। जानकारों का यह कहना है कि 1980 के दशक में रईसी के इशारे पर हजारों विरोधियों को फांसी दी गई थी, जिनका संबंध वामपंथी गुटों से था।

सऊदी अरब द्वारा विमानों की खरीद का सबसे बड़ा समझौता

उर्दू टाइम्स (23 मई) के अनुसार सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार नागरिक विमानों की खरीद का सबसे बड़ा समझौता एक अमेरिकी कंपनी एयरबस के साथ किया गया है। यह समझौता रियाद के किंग अब्दुल अजीज अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुआ है। इससे पहले इतना बड़ा समझौता मध्य पूर्व या अफ्रीका के किसी अन्य देश ने नहीं किया था। सऊदी विमानन समूह के महानिदेशक इब्राहिम अल-उमर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत सऊदी अरब द्वारा ए321नियो मॉडल के 54 विमान खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त ए320नियो मॉडल के 51 विमान भी खरीदे जाएंगे। इसका इस्तेमाल सऊदी एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। बता दें कि सऊदी अरब द्वारा 2030 का पर्यटन विजन तैयार किया गया है। इस विजन के तहत 2030 तक 33 करोड़ यात्री सऊदी एयरलाइंस में यात्रा कर सकेंगे। इनमें उमरा और हज के लिए आने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। ये विमान अत्याधुनिक मॉडल की हैं, जिनमें ईंधन की खपत 20 प्रतिशत तक कम होती है।

हिंदुस्तान (28 मई) के अनुसार अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई के सिलसिले में सऊदी अरब पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का

फैसला किया है। यह फैसला अमेरिकी सरकार ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों में सुधार करने के लिए किया है। अमेरिका का यह प्रयास है कि सऊदी अरब और चीन के बीच तेजी से बढ़ती हुई मित्रता को रोका जाए। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस के सूत्रों ने यह संकेत दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी अरब के प्रति अपनी नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बाइडेन ने यमन के हूती विद्रोहियों को आतंकी घोषित किया था, लेकिन बाद में अरब देशों के दबाव को देखते हुए उन्होंने अपनी इस नीति को रद्द कर दिया। सऊदी सरकार के सूत्रों के अनुसार सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान द्वारा अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने का जो प्रयास किया जा रहा है यह उसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

अबू धाबी में बियर फैक्ट्री की स्थापना

सहाफत (20 मई) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के सहयोग से अबू धाबी में बियर बनाने का एक बड़ा प्लांट लगाने का फैसला किया है। अभी तक मुस्लिम देशों में शराब पर प्रतिबंध है, क्योंकि शराब पीना शरिया के अनुसार हराम माना जाता है। विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए अरब देशों ने शराब के बारे में अपनी नीति को उदार बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हाल ही में सबसे कट्टर मुस्लिम देश सऊदी अरब में एक शराब की दुकान खोली गई है, जिसमें विदेशियों को शराब खरीदने की अनुमति होगी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा है कि फिलहाल मुसलमानों के शराब पीने पर पाबंदी जारी रहेगी। अरब देशों की इस उदार नीति का लाभ उठाने का फैसला अमेरिकी शराब निर्माता चाड मैकगीही ने किया है।

गौरतलब है कि ओमान और कतर में अभी तक शराब बेचने पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं। जबकि कुवैत और शारजाह ने इस संबंध में उदार नीति अपनाने का संकेत दिया है। अमेरिकी शराब निर्माता मैकगीही ने संवाद समिति 'एएफपी' को

बताया कि हमें आशा है कि पर्यटक जर्मनी, न्यूयॉर्क या सैन डिएगो की तरह विभिन्न तरह के शराब का लुत्फ उठाने के लिए अबू धाबी भी आएंगे। गौरतलब है कि दुबई सरकार पिछले साल से शराब के संदर्भ में उदार नीति अपना रही है। दुबई सरकार ने पिछले साल शराब के आयात पर लगाया जाने वाला 30 प्रतिशत का उत्पाद कर समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने गैर-मुसलमानों के लिए शराब के परमिट को भी निःशुल्क बनाने का फैसला किया है ताकि विदेशी शराब का इस्तेमाल कर सकें। संयुक्त अरब अमीरात की एक करोड़ आबादी में से 90 लाख विदेशी हैं, जिन्हें शराब पीने की हाल ही में अनुमति दी गई है।

तुर्किये के विद्रोही जनरलों को माफी

सहाफत (20 मई) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने 1997 के असफल सैन्य विद्रोह के दोषी सात पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द करने की घोषणा की है। सरकार ने यह दावा किया है कि उन्हें यह छूट उनकी बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत को देखते हुए दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में तुर्किये में हुए स्थानीय चुनावों में एर्दोगन की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) ने भारी सफलता प्राप्त की थी। विपक्षी दल काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि व्योवृद्ध सैन्य अधिकारियों को जेल से रिहा किया जाए। जिन पूर्व सैन्य अधिकारियों को माफी दी गई है उनमें सेविक बीर भी शामिल हैं। उन्हें इस विद्रोह का सरगना माना जाता है। उन्हें दो महीने पहले ही अचानक जेल से रिहा कर दिया गया था। बता दें कि 2018 में तुर्किये की एक अदालत ने 1997 में इस्लामी हुकूमत के खिलाफ सैन्य विद्रोह करने के आरोप में पूर्व सेना प्रमुख सहित 21 सैन्य उच्चाधिकारियों को उम्रकैद की सजा दी थी।

अवधनामा (18 मई) के अनुसार राष्ट्रपति एर्दोगन के राजनीतिक विरोधी और तुर्किये के एक प्रमुख कुर्द नेता सेलाहट्टिन डेमिरतास को तुर्किये की एक अदालत ने 42 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 2014 में सीरिया के कोबानी शहर में आतंकी संगठन आईएसआईएस के हमले के बाद तुर्किये में दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एर्दोगन की सरकार का तख्ता पलटने के लिए हिंसक प्रदर्शनों का आयोजन किया था। डेमिरतास कुर्द समर्थक पीपुल्स डेमोक्रेटिव पार्टी (एचडीपी) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस पार्टी के एक अन्य प्रमुख नेता फिगेन युकसेकदाग को भी 30 साल की सजा सुनाई गई है। इस विद्रोह के बाद 29 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। ये सभी नेता एर्दोगन विरोधी कुर्द समर्थक पार्टी एचडीपी से संबंधित थे। इन पर हत्या और देशद्रोह

के आरोप लगाए गए थे। इनमें से एक दर्जन नेताओं को अदालत ने बरी कर दिया है। सभी आरोपी 2018 से आतंकवाद के आरोप में विभिन्न जेलों में बंद हैं।

गौरतलब है कि सीरिया के सीमावर्ती नगर कोबानी में तीन दिन तक सरकारी सेना और कुर्द विद्रोहियों के बीच सशस्त्र झड़पें हुई थीं। इन झड़पों में कम-से-कम 37 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। तुर्किये की सरकार का आरोप है कि सीरिया समर्थक कुर्द विद्रोहियों का संपर्क अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए से है और उसने तुर्किये सरकार का तख्ता पलटने के लिए इन उग्र प्रदर्शनों का आयोजन किया था। अदालती फैसले पर टिप्पणी करते हुए एचडीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला बदले की भावना से प्रेरित है और वे इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे। प्रवक्ता ने कहा कि हमारे नेताओं के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।

सऊदी अरब में हज की तैयारियां तेज

सऊदी अरब में विश्वभर से हाजियों का आना शुरू हो गया है। सऊदी सरकार को यह आशा है कि इस साल लगभग 24 लाख हज यात्री हज में हिस्सा लेंगे।

औरंगाबाद टाइम्स (15 मई) के अनुसार हज की तैयारी के लिए सऊदी सरकार की हज मंत्रालय ने विश्वभर के हज से संबंधित विभागों के प्रमुखों की एक उच्चस्तरीय बैठक रियाद में बुलाई। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि अल्लाह के मेहमानों का स्वागत करने और उन्हें हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सऊदी सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी शामिल किए गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 मई) के अनुसार हज की तैयारियों के सिलसिले में काबा के गिलाफ को तीन मीटर ऊंचा कर दिया गया है। खाली होने वाले हिस्से को चारों तरफ से दो मीटर चौड़े सफेद सूती कपड़े से ढंक दिया गया है। काबा के गिलाफ को ऊंचा करते वक्त काबा के इमाम अब्दुल रहमान अल-सुदैस सहित कई उच्चाधिकारी मौजूद थे। गिलाफ-ए-काबा को ऊंचा करने के लिए दस क्रेनों की सहायता ली गई। इसकी निगरानी 50 से अधिक विशेषज्ञों ने की। परंपरा के अनुसार हज के शुरू होते ही गिलाफ-ए-काबा को ऊंचा कर दिया जाता है ताकि हाजियों द्वारा इसकी

परिक्रमा के दौरान गिलाफ-ए-काबा को किसी तरह की क्षति न पहुंचे।

सियासत (3 मई) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि हज के लिए केवल उन्हीं लोगों को देश में प्रवेश करने की अनुमति होगी, जिनके पास हज के लिए परमिट होंगे। पर्यटन या उमरा के लिए जारी परमिट धारकों को हज के दौरान सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

औरंगाबाद टाइम्स (8 मई) के अनुसार सऊदी सरकार ने हज करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए नियमों में परिवर्तन किया है। अब केवल उन्हीं लोगों को मक्का की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास हज करने के लिए परमिट होंगे। बिना परमिट आने वाले लोगों को जबरन वापस भेज दिया जाएगा। सरकार ने हाजियों की सुविधा के लिए सरकारी विभागों के अतिरिक्त प्राइवेट एजेंसियों का भी सहयोग लेने का फैसला किया है। हज व उमरा विभाग के मंत्री डॉ. तौफीक अल राबिया ने कहा कि हाजियों को विशेष कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे हज यात्रा से संबंधित स्थानों में प्रवेश कर सकें। ये कार्ड डिजिटल होंगे और इन पर संबंधित हज यात्री के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध होगी। हर हाजी को इन कार्डों को चौबीसों घंटे अपने पास रखना होगा ताकि सुरक्षा एजेंसियां उनकी पहचान कर सकें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को हज यात्रा से संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनके पास यह डिजिटल कार्ड नहीं होगा।

उर्दू टाइम्स (17 मई) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि हज के लिए आने वाले यात्रियों को आब-ए-जमजम की चार करोड़ बोतलें उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का यह प्रयास है कि हर हज यात्री को आब-ए-जमजम की औसतन 22 बोतलें उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।

हमारा समाज (30 मई) के अनुसार अब तक सात लाख से अधिक हज यात्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डों पर 500 से अधिक काउंटर खोले गए हैं, जहां पर अरबी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को जानने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सऊदी रेलवे ने हज यात्रियों को मक्का, मदीना और जेद्दा के बीच आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों द्वारा 20 लाख हज यात्री यात्रा कर सकेंगे। यह ट्रेन दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन है। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार दस साल के बाद पहली बार सीरिया की राजधानी दमिश्क से विशेष वायुयान के जरिए 270 हज यात्री मक्का पहुंचे हैं। गौरतलब है कि 2012 में अरब लीग ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद के साथ संबंध तोड़ लिए थे और सीरिया को अरब लीग की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। इसके साथ ही सऊदी सरकार ने सीरिया के हज यात्रियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हमारा समाज (31 मई) के अनुसार हज सीजन के दौरान जो व्यक्ति बिना विशेष परमिट

के मक्का में दाखिल होगा उस पर दस हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे हमेशा के लिए सऊदी अरब में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। अगर कोई वाहन बिना अनुमति प्राप्त लोगों को मक्का की सीमा में लाता है तो उसके ड्राइवर को छह महीने की कैद और 50 हजार रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही उसके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। यह पाबंदी 2 जून से 20 जून तक रहेगी।

इंकलाब (30 मई) के अनुसार सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने सऊदी सरकार की ओर से 88 देशों के 2300 विशिष्ट व्यक्तियों को हज करने का विशेष आमंत्रण दिया है। इसके अतिरिक्त गाजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों के एक हजार परिजनों को भी सऊदी सरकार ने अपने खर्च पर शाही मेहमान के तौर पर हज करने का आमंत्रण दिया है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने हाजियों को यह चेतावनी दी है कि वे बासी खाना न खाएं, क्योंकि इससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है।

एतेमाद (25 मई) के अनुसार कई सालों के बाद इस साल ईरानी हज यात्री हज के लिए मक्का पहुंचे हैं। इससे पहले क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध नहीं थे, इसलिए ईरानियों को हज यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। ईरानी हाजियों ने बताया कि मक्का के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही फारसी भाषा में उनका स्वागत किया गया। इससे उन्हें बहुत खुशी हुई है। सऊदी सरकार ने कहा है कि इस वर्ष के हज सीजन में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी मिली है, इसलिए सरकार ने हाजियों को लू और गर्मी से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। हाजियों के सभी शिविरों को वातानुकूलित सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त खाने-पीने की वस्तुओं को बनाने और उसे हाजियों को उपलब्ध कराने के भी प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने यह दावा किया है कि इस वर्ष के रमजान महीने में तीन करोड़ से अधिक लोगों ने उमरा किया था। इस बात की संभावना है कि इस साल 26-27 लाख हज यात्री हज कर सकेंगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

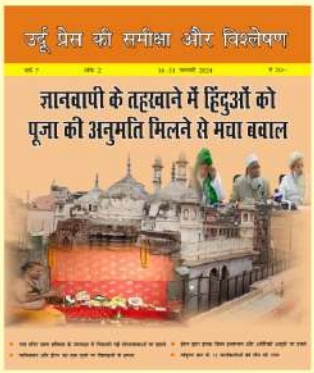

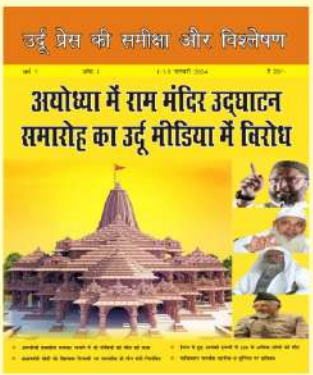

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in